समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या AF-3804/सम्ब./2020

दिनांक 04/06/2020

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त सहयुक्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालय,
लखनऊ।

अति आवश्यक

विषयः–वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–995/सत्तर–3–2020–08(21)/2018 दिनांक 08.05.2020 जिसके माध्यम से शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के परिसर तथा नियंत्रणाधीन रिक्त भूमि का चयन कर वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के पत्र के निर्देश के क्रम में महाविद्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

(वी0पी0 कौशल)
उपकुलसचिव(सम्ब.)

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–995 /सत्तर–3–2020–08(21)/2018

171
15.5.20

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

1-21
3/05/2020

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 प्रयागराज।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 08 मई, 2020**

विषयः– वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–2/2019/881/81–5–2019–03/2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति–2017 के प्रस्तर–2.4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का प्राविधान है।

3– भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित अद्यावधिक द्विवर्षीय वन स्थिति रिपोर्ट–2017 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से कुल 676 वर्ग किमी0 (वनावरण में 278 वर्ग कि0मी0 एवं वृक्षावरण में 398 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल वृद्धि) की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियां तथा वन संरक्षण हेतु किए गए प्रयास हैं।

4– वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 में भी समस्त विभागों का समावेश करते हुए जन सहभागिता से वर्ष 2019–20 की भाँति वृहद स्तर पर पौधों का रोपण 'वन महोत्सव (01 जुलाई से 07 जुलाई तक)' कालावधि में किया जाय।

5– संलग्न शासनादेशों के परिशिष्ट–1 से 4 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 में क्रमशः 15 लाख, 18 लाख तथा 21 लाख वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपदवार लक्ष्यों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 में किया गया है।

6– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्यों की निर्धारित समय सारणी के अनुसार शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु निम्न कार्यवाही की जाय :–

6.1 पौध रोपण हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालयों के परिसर तथा नियंत्रणाधीन रिक्त भूमि का चयन कर लिया

जाय तथा शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के अनुसार वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही माइकोप्लान में इसे सम्मिलित करा लिया जाय।

6.2 उपरोक्त प्रस्तर 4.1 'क' के अनुसार विभाग के लिए चिन्हित भूमि पर स्वयं के वृक्षारोपण हेतु धनराशि उपलब्ध होने की दशा में विभागीय भूमि पर स्वयं तथा धनराशि न उपलब्ध होने की दशा में शासनादेश दिनांक 21.11.2019 के अनुसार ग्राम पंचायत को मनरेगा श्रम बजट से वृक्षारोपण कार्य करने दिया जाय। इस प्रकार किया गया वृक्षारोपण उच्च शिक्षा विभाग के लक्ष्यों के सापेक्ष ही माना जायेगा।

6.3 वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शासनादेश दिनांक 21.11.2019 के प्रस्तर–15 में उल्लिखित प्रकिया एवं समय सीमा के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराने के साथ–साथ रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि रोपण उपरान्त पौधो की जीवितता सुनिश्चित हो सके।

6.4 वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किए जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट–4 पर रखा गया है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि यथा सम्भव स्थानीय प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जाय।

6.5 वृक्षारोपण हेतु पौध वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं से प्राप्त की जाय।

6.6 वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए जी0पी0एस0 के माध्यम से जियो टैगिंग तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त स्थलों की जियो–टैगिंग की जाय।

6.7 शासनादेश के प्रस्तर–28 के अनुसार वन एवं जीव विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में वृक्षारोपण से जुड़े विभागीय कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6.8 रोपित किए गए पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख–रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व रोपित पौधों की सफलता का नियमित अनुश्रवण अवश्य किया जाय।

6.9 विद्यार्थियों की सकिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जाय :–

- वृक्षारोपण कार्य में पौध रोपण हेतु सकिय सहयोग लिया जाय।
- प्रत्येक विद्यार्थी जो वृक्ष लगायेंगे, इसकी देख–रेख भी करेगें तथा पौधों में पानी देना व पौधों की पहचान उस विद्यार्थी के नाम से करायी जाय।
- विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापक विद्यार्थियों को इस दिशा में सुनिश्चित, अनुशासित एवं उनको वृक्षारोपण कार्यों के प्रति प्रेरणा देते रहें।

6.10 वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष की भाँति माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक मनाया जाय तथा रोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलावार/विभागवार/ग्राम पंचायतवार/शहरी निकायवार तैयार की जा रही कार्ययोजना में विभागीय कार्ययोजना को सम्मिलित करवाये तथा सुनिश्चित करें कि वृक्षारोपण का लक्ष्य 01 जुलाई से 07 जुलाई तक शत–प्रतिशत प्राप्त हो सके।

उपरोक्तानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवंटित विभागीय वृक्षारोपण लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। उक्त लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को इस सम्बन्ध में सतत

अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा अद्यावधिक सूचनायें समय–समय पर संकलित कराकर शासन की अपेक्षानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–9950/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा, उ0प्र0।

आज्ञा से

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।